

तमिलनाडु राज्य

बनाम

एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी

19 जनवरी, 1995

[जे. एस. वर्मा, एस. पी. भरुचा और के. एस. परीपूरनन, न्यायाधिपतिगण]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957-  
तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियम, 1959-नियम 19 ए, सरकारी आदेश  
सं. 214 दिनांक 10 जून, 1992, द्वारा संशोधित, पहला परंतुक - ग्रेनाइट  
उत्खनन पट्टा - राज्य सरकार की कंपनियों को या निगमों को वरीयता देना  
- क्या मनमाना - अभिनिर्धारित, नहीं - राज्य सरकार की कंपनियों और  
निगमों और निजी खनिकों के बीच वैध अंतर मौजूद है - नियम 19-ए के  
पहले परंतुक को धारा 17 ए-2 के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए  
कहा जा सकता है।

नियम 8 डी और 19 बी - संवैधानिक वैधता - राज्यसरकार की नियम  
बनाने की शक्ति के दायरे से बाहर होने के कारण नियमों को रद्द कर  
दिया गया।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत बनाये गये नियम 8 डी और 19 बी और तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियम, 1959 के नियम 19ए के पहले प्रावधान को चुनौती दी गई थी। उन्हें उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। जिन सरकारी आदेशों द्वारा इन प्रावधानों को उक्त नियमों में शामिल किया गया था, उन्हें भी आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि नियम 19ए के पहले प्रावधान में राज्य सरकार की कंपनी या निगम को वरीयता देने के मामले में कोई दिशानिर्देश नहीं है। वरीयता का अनुदान राज्य सरकार के निरंकुश विवेक पर छोड़ दिया गया था। इसलिए इसे संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया था। उच्च न्यायालय ने नियम 8 डी और 19 बी को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 15 ने राज्य सरकार को ग्रेनाइट के उत्खनन के बाद आंतरिक या विदेशी व्यापार को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं दी है। धारा 15 राज्य सरकार को किसी राज्य सरकार की कंपनी या निगम को ग्रेनाइट के लिये न्यूनतम मूल्य तय करने के लिए सक्षम बनाने के लिये नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है। ये अपीलें तमिलनाडु राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं।

अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि एक ओर राज्य सरकार की कंपनियों और निगमों के बीच और दूसरी ओर निजी खनिकों के बीच वैध अंतर मौजूद है और इसका उक्त अधिनियम के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। राज्य ने तर्क दिया कि उक्त अधिनियम की प्रस्तावना और उसकी धारा 18 को ध्यान में रखते हुए नियम 8डी और 19बी वैध थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 15 (ओ) के तहत राज्य की नियम बनाने की शक्ति नियम 8डी और 19बी को शामिल करने के लिए पर्याप्त थी।

प्रतिवादीगण ने कहा कि नियमों में राज्य सरकार की कंपनी या निगम के लिए दिशानिर्देश प्रदान किये जाने चाहिये। यह प्रस्तुत किया गया कि संशोधित नियम 19ए का जी. ओ. सं. 214 में बताए गए उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं है। यह उन व्यक्तियों के लिए हानिकारक था जिन्होंने 10 जून, 1992 से पहले नियम 19-ए के तहत घोषित नीति के आधार पर पॉलिशिंग इकाइयों की स्थापना की थी। नियम 19-ए के संशोधन को मनमाना बताते हुए चुनौती दी गई थी और वचन विबंधन के सिद्धांत को भी लागू करते हुए इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। प्रत्यर्थियों ने कहा कि नियम 19ए के पहले प्रावधान के तहत भूमि के मालिक की सहमति की शर्त नहीं रखी गई थी और यह उस कारण से गलत था। अधिनियम की धारा 17ए (2) के प्रावधानों को संशोधित किया गया था और यह

प्रस्तुत किया गया था कि उन्हें नियम 19ए के पहले प्रावधान द्वारा दरकिनार किया जा रहा था।

इस न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 . एक ओर राज्य सरकार कंपनियों और निगमों और दूसरी ओर निजी खनिकों के बीच वैध अंतर मौजूद है और यह खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। एक दुर्लभ और बहुमूल्य खनिज के संरक्षण और सर्वोत्तम संभव तरीके से इसका दोहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अधिनियम की धारा 15 के तहत लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने वाली प्राधिकरण राज्य सरकार के लिए खनन निर्दिष्ट प्रकार के ग्रेनाइट में खनन कार्य जारी रखना खुला है। संशोधित नियम 19-ए में, जहाँ तक संभव हो, अपने हाथों में, और राज्य सरकार की कंपनियों या निगमों को ऐसे ग्रेनाइट के लिए उत्खनन पट्टों के अनुदान में वरीयता देकर ऐसा करना। [ 448

- एच, 449-ए-बी]

1.2 . कब्जाधारक की सहमति केवल तभी आवश्यक है जब पट्टा धारक किसी भी इमारत या संलग्न परिसर या बगीचे में प्रवेश की इच्छा रखता है। इसलिए, नियम 19ए को सिर्फ इसलिए कानूनी रूप से गलत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि भूमि के मालिक की सहमति को एक शर्त नहीं बनाया गया था। [ 451 - बी, 450-एच]

1.3. धारा 17ए (2) तब लागू होती है जब किसी क्षेत्र को विशेष रूप से किसी सरकारी कंपनीया निगम के माध्यम से खनन कार्य करने के लिये राज्य सरकार द्वारा आरक्षित करने की मांग की जाती है। जब ऐसे क्षेत्र को खनिज या खनिजो के संबंध में अधिसूचित किया जाता है जिनके संबंध में इसे अधिसूचित किया गया है, उनका भी उल्लेख किया जाना चाहिये। ऐसा आरक्षण केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। नियम 19ए का पहला प्रावधान निजी पक्षों को उसमें निर्दिष्ट खनिजों के लिए उत्खनन पट्टे प्राप्त करने से पूरी तरह से बाहर नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि ऐसे पट्टों के लिए राज्य सरकार की कंपनियों और निगमों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां, इसलिए, निर्दिष्ट खनिज के लिए एक ही खनन पट्टे के लिए, प्रतिद्वंदी आवेदन हैं, नियम 3 की आवश्यकताओं और परिशिष्ट X में फॉर्म को ध्यान में रखते हुए सभी चीजें समान हैं, तो एक राज्य सरकार की कंपनी या निगम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए नियम 19ए के पहले परंतुक को धारा 17ए (2) के प्रावधानों को दरकिनार करने वाला नहीं कहा जा सकता है। [ 451 - एफ-जी]

2. उक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकार को खनन खनिजो के उत्खनन के बाद उन पर नियंत्रण रखने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। राज्य सरकार की शक्ति, जैसे अधीनस्थ नियम बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार की शक्ति धारा 15 में निर्धारित तरीके से

प्रतिबंधित है। खनिक खनिज की बिक्री और बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने की शक्ति धारा 15 की उप-धारा (1 ए) के खंड (ओ) की शर्तों के अंतर्गत नहीं आती है। यह खंड केवल खदान और खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के अनुदान के विनियमन से संबंधित हो सकता है और यह पहले से ही खनन किए गए खनिजों की बिक्री को विनियमित करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। [ 454 - जी-एच]

उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से नियम 8डी और 19बी को राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के दायरे से बाहर होने के कारण निरस्त करने में स्पष्ट रूप से सही था। [ 455 - ए]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 1655/1993

डब्ल्यू पी नंबर 8277/1992 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.12.92 से

पी. आर. सीतारमन, वी. बालचंद्रन, वी. कृष्णमूर्ति, के. के. मणि, सुश्री इंदु मल्होत्रा, गणपति अय्यर गोपाल कृष्णन, के. राम कुमार, प्रवीर चौधरी, एल. पी. अग्रवाल, आर. मोहन, डब्ल्यू. सी. चोपड़ा, पी. एन. रामलिंगम, एस. आर. सेतिया, अरुणेश्वर गुप्ता, प्रबीरानंद चौधरी, सूर्यकांत, के. वी. मोहन, आर. अय्याम पेरुमन, ई. सी. अग्रवाल, ए. मरियारपुथम और के. राजेंद्र चौधरी - उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय भरूचा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

अनुमति प्रदान की गई।

इन अपीलों में तमिलनाडु राज्य ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 23 दिसंबर, 1992 के निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत नियम 8डी और 19बी और तमिलनाडु खनिक खनिज रियायत नियम, 1959 के नियम 19ए ("उक्त नियम") जिनको खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 ("उक्त अधिनियम") के प्रावधानों के तहत बनाया गया था को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया गया। सरकारी आदेश जिनके द्वारा इन प्रावधानों को लागू किया गया था भी अंशतः निरस्त कर दिये गये थे। अपीलकर्ता राज्य को एक निर्देश जारी किया गया था कि वह इसमें प्रत्यर्थियों को जो कि याचिकाकर्ता है, जिनकी रिट याचिकाओं पर निर्णय और आदेश पारित किए गए थे, उपरोक्त नियमों के संदर्भ के बिना, भुगतान के अधीन, उत्खनन कार्यों को जारी रखने और उत्खनित सामग्री के परिवहन की, रॉयल्टी के भुगतान और प्रभुत्व के अधीन अनुमति दे।

नियम 19ए:

10 जून, 1992 से पहले नियम 19-ए इस प्रकार पढ़ा जाता था:

"19 ए- रैयतवारी भूमि में सजावटी और श्रृंगार उद्देश्यो के लिये उपयोग के लिये आवश्यक काला, गुलाबी, लाल, भूरे, हरे और अन्य रंगीन ग्रेनाइट और किसी भी अन्य चट्टान की खुदाई के लिये अनुमति -

(1) इन नियमो की धारा III में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, रैयतवाडी भूमि में सजावटी और श्रृंगार उद्देश्यो के लिये उपयोग के लिये आवश्यक काला, गुलाबी, लाल, भूरा, हरा और अन्य रंगीन ग्रेनाइट और अन्य चट्टानो की खुदाई के लिये अनुमति देने के लिये सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार होगी। आवेदन इनके लिए परिशिष्ट III में निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा।

बशर्ते कि रैयतवाडी भूमि में उपरोक्त खनिजो के उत्खनन की अनुमति केवल उस आवेदक को दी जायेगी जिसके पास तमिलनाडु मे मौजूदा उद्योग है या तमिलनाडु में अपने प्रस्तावित उद्योग में खनिज का उपयोग करने के लिये विशिष्ट औद्योगिक कार्यक्रम है:

बशर्ते कि उपरोक्त खनिज के उत्खनन के लिए अनुमति धारक इन नियमो के परिशिष्ट II मे समय समय पर निर्धारित क्षेत्र मूल्यांकन, भूमि शुल्क, दरो का भुगतान करने के बाद और जिला कलेक्टर या उसकी ओर से अधिकृत अधिकारी से परिवहन परमिट प्राप्त करने के बाद निर्दिष्ट भूमि से खनिज को हटायेगा या परिवहन करेगा ।



बशर्ते यह भी कि परिवहन परमिट केवल उस उद्योग को जारी किया जाएगा जिसके लिए खनिज की आपूर्ति की जानी आवश्यक है। पट्टेदार कारखाना स्थल पर प्राप्त और कारखाना से भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा और अन्य विवरणों को दर्शाते हुए सही लेखा रखेगा। पट्टेदार राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को उद्योग का निरीक्षण करने और उसके अभिलेखों और खातों को सत्यापित करने और ऐसी जानकारी और विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति देगा जिसकी उसे आवश्यक हो।

10 जून, 1992, को राज्य सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 214 जारी किया। इसमें कहा गया कि उक्त नियमों के तहत, जैसा कि वे अस्तित्व में हैं, आदेश जारी किए गए थे कि उन उद्योगों को पट्टे दिए जाएं जो पहले से ही ग्रेनाइट काटने और चमकाने के लिए स्थापित किए गए थे और जिन्होंने प्रतिबद्धता पत्र प्राप्त होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर अपीलकर्ता राज्य के भीतर ऐसी इकाइयों को स्थापित करने के लिए एक निश्चित औद्योगिक कार्यक्रम दिया था। मद्रास में भूविज्ञान और खनन निदेशक ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि कई जिलों में अवैध खनन और परिवहन बड़े पैमाने पर हो रहा है, ग्रेनाइट पट्टों के लिए निविदा बोलियों के रूप में प्राप्त राशि बहुत कम थी और ग्रेनाइट व्यापार में एकाधिकार पैदा करने की एक खतरनाक प्रवृत्ति थी।

उन्होंने यह भी बताया था कि ग्रेनाइट काटने और चमकाने की प्रक्रिया में बहुत अधिक बर्बादी हुई थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि राज्य सरकार को भविष्य की पीढ़ियों और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित की रक्षा के लिये अपीलकर्ता राज्य में उपलब्ध गैर-नवीकरणीय ग्रेनाइट क्षमता के संरक्षण और उचित उपयोग के लिये कदम उठाने चाहिये। ग्रेनाइट एक मूल्यवान खनिज था जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की। यह एक गैर-नवीकरणीय खनिज था। इससे पहले, यह आवश्यक था कि इसे संरक्षित किया जाए और बिना बर्बादी के उचित तरीके से इसका उपयोग किया जाए। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, राज्य सरकार अपीलकर्ता राज्य में उपलब्ध मूल्यवान ग्रेनाइट भंडारों के उपयोग के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के प्रश्न की जांच कर रही थी और उसने निर्णय लिया था कि:

" ( 1 ) अब से पोराम्बोक भूमि पर ग्रेनाइट खनन के लिए कोई पट्टा निजी व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जिनके पास पट्टा हैं। नए पट्टे केवल राज्य सरकार की कंपनी या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम को दिए जाएंगे। राज्य सरकार;

(2) पैराडिसो, कश्मीर, व्हाइट, कुन्नम, पैठुर, बावनूर, ब्लॉक, ब्लू ग्रेनाइट, कच्चा रेशम और लाल ग्रेनाइट, के उत्खनन के संबंध में, रैयतवाड़ी भूमि

का पट्टा अधिमानतः किसी राज्य की कंपनी या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम को दिया जायेगा।

(3) मौजूदा शर्त यह है कि जिस पट्टेदार को रैयतवाडी भूमि में ग्रेनाइट खनन की अनुमति दी गई है, उसके पास तमिलनाडु में मौजूदा उद्योग या तमिलनाडु में अपने प्रस्तावित उद्योग में खनिज का उपयोग करनेके लिये विशिष्ट औद्योगिक कार्यक्रम होना चाहिये, को समाप्त कर दिया जायेगा।

(4) ग्रेनाइट से संबंधित सभी व्यापार को तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड के माध्यम से किये जायेंगे।

उक्त नियमों में संशोधन करने वाली एक अधिसूचना उक्त सरकारी आदेश के साथ संलग्न की गई थी और, जहां तक हमारे उद्देश्यों के लिये महत्वपूर्ण है, इसने नियम 19 ए में संशोधन किया और नियम 8 बी और 19 बी पेश किये। नियम 19-ए, यथा संशोधित, इस प्रकार पठनीय है :

"19 ए- रैयतवारी भूमि में सजावटी और श्रृंगार उद्देश्यों के लिये उपयोग के लिये आवश्यक काला, गुलाबी, लाल, भूरे, हरे और अन्य रंगीन या बहुरंगी ग्रेनाइट या किसी अन्य चट्टान के उत्खनन के लिये उत्खनन पट्टा, इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद - इन नियमों की धारा III में काले, गुलाबी, लाल, भूरे, हरे, सफेद या अन्य रंगीन या बहुरंगी ग्रेनाइट या रैयत में सजावटी और श्रृंगार उद्देश्यों के लिये उपायोग के लिये

आवश्यक किसी अन्य चट्टान के उत्खनन के लिये उत्खनन पट्टा देने के लियेसक्षम प्राधिकारी शामिल है। रैयतवारी भूमि राज्य

उक्त आवेदन के साथ परिशिष्ट 8 में निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी खनन बकाया निकासी प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा। इस नियम के तहत किये गये आवेदन की रसीद जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट 9 में निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार की जायेगी।

बशर्ते कि 10 जून 1992 से राज्य सरकार रैयतवाडी भूमि में निम्नलिखित गौण खनिजों के उत्खनन के लिये उत्खनन पट्टा देने में राज्य सरकार की कंपनी या निगम या स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी को प्राथमिकता देगी, यानि कि :

(ए) पैराडिसो (बैंगनी रंग के लहरदार पैटर्न के साथ जिनेसिक रॉक)

(बी) कश्मीर व्हाइट (गार्नेट स्पीज़ के साथ लेप्टिनाइट सफेद ग्रेनाइट)

(सी) कुन्नम, पैठुर, भूरी पृष्ठभूमि के साथ काला ग्रेनाइट महीन और मध्यम ग्रेड बावनूर ब्लैक

(डी) ब्लू ग्रेनाइट नीली पृष्ठभूमि के साथ चार्नोकाइट

(ई) कच्चा रेशम पीले रंग की पृष्ठभूमि के साथ लेप्टिनाइट।

(एफ) लाल ग्रेनाइट लाल रंग की पृष्ठभूमि के साथ पोर्फायरिटिक ग्रेनाइट और ग्रेनाइट

बशर्ते कि उत्खनन के लिए उत्खनन पट्टाधारक परिशिष्ट ॥ में समय समय पर निर्धारित दरो पर क्षेत्र मूल्यांकन, प्रभुत्व शुल्क या डेड रेंट, जो भी अधिक हो, के भुगतान के बाद निर्दिष्ट भूमि से खनिज को हटायेगा या परिवहन करेगा। नियमों और जिला कलेक्टर या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से परिवहन परमिट प्राप्त करने के बाद;

बशर्ते कि पट्टेदार उत्खनित खनिजों की मात्रा दशरने वालेसही खाते रखेगा और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी कार्यालय को खदान का निरीक्षण करने और उसके रिकॉर्ड और खातों को सत्यापित करने और ऐसी जानकारी और विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति देगा जैसी उसके द्वारा आवश्यक है।

संशोधित नियम 19 ए में यह पहला प्रावधान था जिसे चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। इसके कारण, राज्य सरकार वहां निर्धारित ग्रेनाइट की किस्मों के लिये उत्खनन पट्टे देनेमें राज्य सरकार की कंपनियों और निगमों को प्राथमिकता देने के लिये बाध्य थी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि नियम 19 ए के पहले परंतुक में राज्य सरकार की कंपनी या निगम को प्राथमिकता देने के मामले में कोई

दिशानिर्देश नहीं था। वरीयता प्रदान करना राज्य सरकार के निरंकुश विवेक पर छोड़ दिया गया था। इसलिये, यह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

अपीलार्थी राज्य के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान तमिलनाडु राज्य बनाम हिंद स्टोन आदि [1981] 2 एस सी आर 742 के मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने नियम 8सी को निरस्त कर दिया था, जैसा कि उस समय पढ़ा गया था। नियम 8सी में कहा गया है कि 2 दिसंबर, 1977 से निजी व्यक्तियों को काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा और राज्य सरकार स्वयं काले ग्रेनाइट के उत्खनन में संलग्न हो सकती है या किसी भी राज्य सरकार के निगम के पक्ष में काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए पट्टे दे सकती है। इस न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 2 के तहत की गई घोषणा का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि "यह जनहित में समीचीन है कि संघ को खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को उक्त अधिनियम में प्रदान की गई सीमा तक अपने नियंत्रण में लेना चाहिए"। इस अदालत ने कहा कि जनहित, जिसने संसद को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, खानों के विनियमन और खनिजों के विकास से संबंधित सभी मामलों में सर्वोपरि विचार होना चाहिये। संसद की नीति उक्त अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी।

यह समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की दृष्टि से खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण और भेदभावपूर्ण दोहन था। नियम बनाने के मामले में अधीनस्थ विधायी प्राधिकारी का नेतृत्व और मार्गदर्शन करने के लिये स्पष्ट संकेत पद थे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम अनाने वाले प्राधिकारी ने निजी पार्टियों के पक्ष में काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिये पट्टों पर प्रतिबंध लगाने और यह निर्धारित करने में अपनी शक्ति का उल्लंघन किया है कि राज्य सरकार स्वयं काले ग्रेनाइट के उत्खनन में संलग्न हो सकती है या किसी राज्य सरकार निगम के पक्ष में काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिये पट्टे प्रदान कर सकती है। इस तरह के नियम को राज्य सरकार, अधीनस्थ विधान निकाय को लाभ पहुंचाने वाले नियम के रूप में देखना, इसके कार्यों के प्रति बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण रखना था। यदि अधिनियम की स्वीकृत नीति के अनुसरण में यह सोचा गया कि किसी विशेष खनिज के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा शोषण सबसे अच्छा और बुद्धिमानीपूर्ण है, तो अधीनस्थ कानून बाने में सक्षम प्राधिकारी निजी शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाला नियम बना सकता है। ऐसा खनिज, जिसकी अब तक अनुमति थी। दुर्लभ खनिज के मामले में संरक्षण और विवेकपूर्ण दोहन का सबसे प्रभावी तरीका राज्य या उसकी एजेंसियों द्वारा दोहन की अनुमति देना और निजी एजेंसियों द्वारा दोहन पर रोक लगाना था। यदि,

न्यायालय ने कहा, आप भविष्य में संरक्षण करना चाहते हैं तो आपको वर्तमान में प्रतिबंध लगाना होगा। हमे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मामलो में पट्टो पर प्रतिबंध लगाना अधिनियम की धारा 15 द्वारा विचार किये गये विनियमन का हिस्सा है।"

एक और राज्य सरकार की कंपनियो ओर निगम और दूसरी ओर निजी खनिको के बीच वैध अंतर मौजूद है, यह उक्त अधिनियम के उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, यह गंभीर विवाद में नहीं है। एक दुर्लभ और बहुमूल्य खनिज के संरक्षण और सर्वोत्तम संभव तरीके से इसका दोहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने वाली प्राधिकरण राज्य सरकार के लिए यह खुला है कि वह संशोधित नियम 19-ए में निर्दिष्ट प्रकार के ग्रेनाइट में खनन कार्यों को जहां तक संभव हो, अपने हाथों में रखे और राज्य सरकार की कंपनियों या निगमों को ऐसे ग्रेनाइट के लिए उत्खनन पट्टों के अनुदान में वरीयता देकर ऐसा करे।

नियम 19-ए में पहले परंतुक के लिए प्रमुख चुनौती यह थी कि यह मनमाना था क्योंकि इसमें राज्य सरकार की कंपनियों या निगमों को वरीयता देने के मामले में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए थे। इस संबंध में अपीलार्थी राज्य के विद्वान वकील द्वारा उक्त नियमों के परिशिष्ट एक्स पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। परिशिष्ट X



एक उत्खनन अनुमति के लिए आवेदन का प्रपत्र निर्धारित करता है, जो नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। आवेदक को अन्य बातों के साथ यह बताना आवश्यक है कि क्या वह एक व्यक्ति है या एक फर्म या एक कंपनी है। आवेदक की राष्ट्रियता या पंजीकरण या निगमन का स्थान निर्धारित किया जाना है, साथ ही उसका पेशा या व्यवसाय की प्रकृति भी निर्धारित की जानी है। प्रपत्र में आवेदक को यह बताने की आवश्यकता होती है कि क्या उसने एक हलफनामा दायर किया है, जैसा कि नियम 3 द्वारा आवश्यक है, कि उसके नाम पर कोई खनन बकाया नहीं है। यह भी बताना आवश्यक है कि क्या उसने पहले उस क्षेत्र में खनिज का काम किया है जिसमें यह अनुमति मांगता है, वह मात्रा जिसे वह निकालना चाहता है और जिस अवधि के दौरान इसे खनन और परिवहन किया जाएगा। यह बताना आवश्यक है कि खनिज का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाना है। इस तरह के दिशानिर्देश जो आवश्यक हैं, वे नियम 3 के साथ पढ़े गए प्रपत्र द्वारा प्रस्तुत किए गये हैं। स्पष्ट रूप से, राज्य सरकार की कंपनी या निगम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सभी चीजें उन विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए समान होनी चाहिए जिनके संबंध में उपरोक्त प्रपत्र द्वारा जानकारी मांगी गई है। ये इस संबंध में दिशा-निर्देश हैं।

प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि सरकारी कंपनी या निगम भूमि के एक टुकड़े के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र था लेकिन दूसरे के लिए नहीं और उक्त नियम में इस संबंध में राज्य सरकार की कंपनी या निगम के लिये दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने चाहिये। यह देखना मुश्किल है कि किसी सरकारी कंपनी या निगम को उक्त नियमों द्वारा प्रदान किये गये दिशानिर्देशों से कैसे बांधा जा सकता है। वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में, उन्हें वाणिज्यिक विचारों द्वारा निर्देशित किया जायेगा और यह मान लिया जाना चाहिये कि वे प्रामाणिक कार्य करेंगे।

यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधित नियम 19ए का उपर उद्धृत जीओ नंबर 214 में बताई गई वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। यह प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। संशोधित नियम में उल्लिखित ग्रेनाइट के खनन को राज्य सरकार बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होगी यदि यह राज्य सरकार की कंपनी या निगम के हाथों में हो। उपर उद्धृत हिंद स्टोन मामले में ऐसा ही माना गया था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि नियम 19-ए के तहत जैसा कि 10 जून, 1992 से पहले था, आवेदक जो उत्खनन पट्टे दिये जाने के योग्य थे, वे थे जिनके पास मौजूदा पॉलिशिंग इकाई या स्थापित करने के लिये एक विशिष्ट औद्योगिक कार्यक्रम था। कई निजी व्यक्तियों ने इस

नीति के आधार पर पॉलिशिंग इकाइयाँ स्थापित की थीं और उतखन्न पट्टों के लिये आवेदन किया था। इस बीच, नियम 19ए को संशोधित किया गया था, और इन व्यक्तियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार की कंपनियोया निगमों को प्राथमिकता देने के लिये नियम 19-ए में संशोधन ऐसे व्यक्तियों के लिये हानिकारक था। यह मनमाना था और वचनबंधन के सिद्धांतों को भी लागू करते हुये इसे खत्म किया जाना चाहिये। नियम 19-ए, जैसा कि 10 जून, 1992 को इसके संशोधन से पहले पढा गया था, पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। इसमें कोई वादा या प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए, वचन विबंधन का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता है और न ही यह कहा जा सकता है कि समय समय पर इसके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ग्रेनाइट के खनन के संबंध में अपनी नीति में बदलाव करने के राज्य सरकार के फैसले में कोई मनमानी है।

प्रतिवादीगणों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ग्रेनाइट एक प्रमुख खनिज होने के साथ-साथ एक छोटा खनिज भी है, जो इसके अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है; यदि इसका उपयोग किया औद्योगिक या इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए किया गया था तो यह भवन निर्माण का पत्थर नहीं था और इसे गौण खनिज के रूप में नहीं माना जा सकता था। उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत राज्यसरकार को केवल

"लघु खनिजों के संबंध में" खदान और खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति है। अतः उक्त नियम केवल लघु खनिजों के संबंध में हैं। हम यहां जिन आवेदकों से संबंधित हैं, वे हैं जो लघु खनिजों का उत्खनन करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रस्तुतीकरण का नियम 19 ए की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियम 19 ए के पहले प्रावधान के तहत भूमि के मालिक की सहमति को कोई शर्त नहीं बनाया गया था और यह उस कारण से कानून में गलत था। प्रस्तुतीकरण में उक्त अधिनियम की धारा 24 ए पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके तहत उक्त अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत खनन पट्टा धारक को उस भूमि में प्रवेश करने और खनन संचालन करने का अधिकार है जिस पर पट्टा दिया गया है। वह भूमि मालिक को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है जो उसके संचालन से हो सकता है। कब्जाधारक की सहमति केवल तभी आवश्यक है जब पट्टा धारक किसी भी भवन या संलग्न परिसर या उद्यान में प्रवेश करना चाहता है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 ए (2) के प्रावधानों को बताया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि उन्हें नियम 19 ए के पहले परंतुक द्वारा दरकिनारा किया जा रहा था। धारा 17 ए (2) इस प्रकार है:

"राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ, किसी ऐसे क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से ही किसी पूर्वक्षण लाईसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है, किसी सरकार, कंपनी या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के माध्यम से पूर्वक्षण या केंद्र सरकार द्वारा खनन कार्य करने के लिये और जहां वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं और खनिज या खनिजों को निर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित किये जायेंगे।"

धारा 17ए (2) तब लागू होती है जब राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को विशेष रूप से सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से खनन कार्यों के लिए आरक्षित करने की मांग की जाती है। जब ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित किया जाता है तो उन खनिज या खनिजों के बारे में भी बताया जाना चाहिये जिनके संबंध में यह अधिसूचित नहीं है, इस तरह का आरक्षण केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। नियम 19ए का पहला प्रावधान निजी पक्षों को ऐसे पट्टों के लिए उत्खनन पट्टा प्राप्त करने से पूरी तरह से बाहर नहीं करता है और राज्य सरकार की कंपनियों और निगमों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए, जहां निर्दिष्ट खनिजों के लिए एक ही खनन पट्टे के लिए प्रतिद्वंद्वी अनुप्रयोग हैं, नियम 3 की आवश्यकताओं और परिशिष्ट X में फॉर्म को ध्यान में रखते

हुए सभी चीजें समान हैं, वहां राज्य सरकार की कंपनी या निगम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए, नियम 19ए के पहले परंतुक को धारा 17ए (2) के प्रावधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

संशोधित नियम 19-ए के प्रावधानों पर उपर निर्धारित आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर चुनौती नहीं दी गई है। हम चुनौती में कोई सार नहीं पाते हैं। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि नियम 19-ए का पहला परंतुक संविधान के अधिकारातीत था।

नियम 8 डी और 19 बी:

नियम 8 डी और 19 बी को सरकारी आदेश संख्या 214 दिनांक 10.06.1992 द्वारा उक्त नियमों में शामिल किया गया था। दोनों नियम समान हैं, सिवाय इसके कि नियम 8 डी धारा II में है जो सरकारी भूमि से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार के हैं और नियम 19 बी धारा III में है जो रैयतवाड़ी भूमि से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार के हैं। ऐसा होने के कारण, यह नियम 19 बी को उद्धृत करने के लिए पर्याप्त है। वह इस प्रकार है:

"19 - बी. काला, लाल, गुलाबी, भूरा, हरा, सफेद या अन्य रंगीन या बहुरंगी ग्रेनाइट या परमिट धारक द्वारा उत्खनित सजावटी और श्रृंगार

पत्थरों के रूप में उपयोग के लिये उपयुक्त किसी भी चट्टान का निर्माण, आदि -

(1) इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, 10 जून, 1992 को और उसके बाद से उत्खनित काले, लाल, गुलाबी, भूरे, हरे, सफेद या अन्य रंगीन या बहुरंगी ग्रेनाइट या सजावटी के रूप में उपयोग के लिये उपयुक्त किसी भी चट्टान की बिक्री और प्रत्येक परमिट धारक द्वारा सजावटी पत्थर, जिसे राज्य द्वारा अनुमति दी गई है। सरकार और प्रत्येक व्यक्ति जिसे काले, लाल, गुलाबी, भूरे, हरे, सफेद या अन्य रंगीन या बहुरंगी ग्रेनाइट या सजावटी और श्रृंगार पत्थर के रूप में उपयोग के लिये उपयुक्त किसी भी चट्टान,के उत्खनन के लिये सक्षम न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार की कंपनी द्वारा या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम द्वारा विनियमित किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्देश दे सकती है।

(2) जहाँ उपरोक्त बिक्री द्वारा विनियमित किया जाता है-

(i) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, न्यूनतम मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ii) राज्य सरकार की कंपनी या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम, न्यूनतम कीमत उक्त कंपनी या निगम द्वारा तय की जायेगी, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में, बिक्री के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जायेगा। "

जिस दिन नियम 8 डी और 19 बी लागू किए गए थे, उसी दिन यानी 10 जून, 1992 को सरकारी आदेश संख्या 216 भी जारी किया गया था। इसने दो नियमों के प्रावधानों के तहत निर्देश दिया कि तमिलनाडु खनिज लिमिटेड, एक राज्य सरकार की कंपनी, खनन किए गए काले, लाल, गुलाबी, भूरे, हरे, सफेद या अन्य रंगीन या बहु रंगीन ग्रेनाइट या सजावटी और सजावटी पत्थरों के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त किसी भी चट्टान की बिक्री को विनियमित करेगी।

उच्च न्यायालय ने नियम 8 डी और 19 बी को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 15 ने राज्य सरकार को खनन के बाद ग्रेनाइट के आंतरिक या विदेशी व्यापार को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं देती है। धारा 15 राज्य सरकार को ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने में राज्य सरकार की कंपनी या निगम को सक्षम बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है।



अपीलार्थी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियम 8 डी और 19 बी उक्त अधिनियम की प्रस्तावना और उसकी धारा 18 को ध्यान में रखते हुए वैध थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 15 (ओ) के तहत राज्य की नियम बनाने की शक्ति नियम 8 डी और 19 बी को शामिल करने के लिए पर्याप्त थी।

उक्त अधिनियम खानों के विनियमन और संघ के नियंत्रण में खनिजों के विकास के प्रावधान के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 में घोषणा की गई है कि जनहित में यह समीचीन है कि संघ को खदानों के विनियमन और खनिजों के विकास को उक्त अधिनियम में प्रदान की गई सीमा तक अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। धारा 13 केंद्र सरकार को खनिजों के संबंध में संभावित लाइसेंस और खनिज पट्टों के अनुदान को विनियमित करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 15 की उप-धारा (1) राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों,, खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 15 की उप-धारा (1 ए) में कहा गया है कि ऐसे नियमों में उस व्यक्ति के लिए प्रावधान किया जा सकता है जिसके द्वारा और जिस तरीके से खदान पट्टे, खनन पट्टे और इसी तरह के लिए आवेदन किया जा सकता है; इसलिए भुगतान की जाने

वाली फीस; जिस समय और फॉर्म में आवेदन किया जाना है; मामले जिन पर विचार किया जाना है जहां उसी दिन एक ही भूमि के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं; वे नियम और शर्तें जिन पर पट्टे दिए जा सकते हैं या विनियमित किए जा सकते हैं; इस ओर से प्रक्रिया; पट्टाधारकों को दी जाने वाली सुविधाएं; किराया और अन्य शुल्कों का निर्धारण और संग्रह और वह समय जिसके भीतर वे देय हैं; तीसरे पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा; वनस्पतियों की सुरक्षा; जिस तरह से पट्टे हस्तांतरित किए जा सकते हैं; सड़कों का निर्माण, रखरखाव और उपयोग, भूमि पर बिजली संचरण लाइनें, आदि; बनाए रखे जाने वाले रजिस्ट्रों का प्रारूप; प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट और विवरण और जिन्हें प्रस्तुत किया जाना है; और उक्त नियमों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश का संशोधन। उपधारा 1-ए का खंड (ओ) में कहा गया है, "कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।" उक्त अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो संभावना या खनन कार्यों के कारण होने वाले किसी भी प्रदूषण को रोककर या नियंत्रित करके पर्यावरण का संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक हों।

नियम 8 डी और 19 बी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को या राज्य सरकार की कंपनी या निगम को यह अधिकार देता है जैसा कि

राज्य सरकार सजावटी या सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त उत्खनित ग्रेनाइट या अन्य चट्टान के प्रत्येक परमिट धारक द्वारा बिक्री को नियंत्रित करने का निर्देश दे सकती है। वे राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या राज्य सरकार की कंपनी या निगम, जैसा भी मामला हो, को इसकी बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी देते हैं। जैसा कि ऊपर उद्धृत सरकार आदेश संख्या 214 दिनांक 10 जून, 1992 की शर्तों में दिखाया गया है, ग्रेनाइट संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण करना है।

यह देखना मुश्किल है कि उत्खनन के बाद ग्रेनाइट की बिक्री को नियंत्रित करके और उसकी न्यूनतम कीमत तय करके ग्रेनाइट संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकार को लघु खनिजों के उत्खनन के बाद उन पर नियंत्रण रखने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। अधीनस्थ नियम बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार की शक्ति, धारा 15 में निर्धारित तरीके से प्रतिबंधित है। लघु खनिज की बिक्री और बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने की शक्ति धारा 15 की उप-धारा (1 ए) के खंड (ओ) की शर्तों के अंतर्गत नहीं आती है। यह खंड केवल खदान और खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के अनुदान के विनियमन से संबंधित हो सकता है और यह पहले से खनन किये गये खनिजों की बिक्री को विनियमित करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।

इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से नियम 8 डी और 19 बी को राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के दायरे से बाहर होने के कारण निरस्त करने में सही था। इन नियमों को निरस्त करने के बाद, उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश संख्या 214 को इस हद तक निरस्त कर दिया कि उसने इन नियमों और इन नियमों के अनुसरण में बनाए गए सरकारी आदेश संख्या 216 को निर्धारित किया।

परिणामस्वरूप, ये अपीलें आंशिक रूप से सफल होती हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश जहां तक यह अभिनिर्धारित करता है कि 10 जून, 1992 के सरकारी आदेश सं. 214 द्वारा संशोधित नियम 19 ए कानून की दृष्टि से गलत है, अपास्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है जहां तक यह मानता है कि नियम 8 डी और 19 बी कानून में खराब हैं। यह भी पुष्टि की जाती है कि जहां तक यह मानता है कि सरकारी आदेश सं. 214 दिनांक 10 जून, 1992, जहाँ तक यह नियम 8 डी और 19 बी निर्धारित करता है, और सरकारी आदेश सं. 216 दिनांक 10 जून, 1992, कानून की दृष्टि से गलत हैं।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एजी.

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।